APP-A
Crim-I

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 70/2019
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.03.2020

1. श्यामसिह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. पप्पी पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभु पुत्र सियाराम जाति जाट निवासी गांगरौली तहसील नदबई जिला भरतपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह एण्ड0

श्री भगवानसिंह फौजदार एण्ड0

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए के तहत पेश किया गया।
2. यह है कि खाता सं. 118 के खसरा न. 1019 रकवा 0.02, 1022 रकवा 0.17, 1159 रकवा 0.28, 1164 रकवा 0.73,1166 रकवा 0.57, 1167 रकवा 0.63, 1191 रकवा 0.73, 1199 रकवा 0.39, 1203 रकवा 0.53, 1224 रकवा 0.25, 1225 रकवा 0.42, 1226 रकवा 0.21, 1227 रकवा 0.11, 1228 रकवा 0.20, 1239 रकवा 0.13, 1237 रकवा 0.02, 1240 रकवा 0.01, 1241 रकवा 0.04, 1242 रकवा 0.13, 1243 रकवा 0.06, 1245 रकवा 0.20, 1246 रकवा 0.22, 1247 रकवा 0.02, 1248 रकवा 0.18, 1452 रकवा 0.20, 1667 रकवा 0.68, 1769 रकवा 0.40, 1770 रकवा 0.44, किता 28 कुल रकवा 7.97 है. व खाता सं. 19 खसरा न. 1790 रकवा 0.32 है. तथा खाता सं. 194 खसरा न. 1021 रकवा 0.19 है. वाके ग्राम गांगरौली तहसील नदबई में स्थित है। जिसके सायलान व गैरसायलान सं. 1 व प्रति मुताबिक हिस्सा जमाबंदी सहखातेदार काश्तकार दर्ज रेवन्यू रिकॉर्ड हैं। गजना व लक्ष्मी,सुनीता पुत्रीयान मानसिंह ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के हक में हकत्याग कर दिया है।
3. यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गांगरौली सायल व गैरसायलान सं. 1 व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 10 की हिस्सा अनुरूप खातेदारी की आराजी है जिस पर सायलान अपने मुताबिक हिस्सा मनवट सम्मिलित रूप से काश्त करते हुये चले आ रहे हैं। लेकिन सायलान व गैरसायलान सं. 1 तथा प्रतिवादीगण के मध्य हिस्साकसी लगान आदि को लेकर झगडा फसाद होता रहता है, इसलिये सम्मिलित रहकर काश्त करना सम्भव नहीं है।

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

FORM No. IH
फर्द अहकाम
(नियम 26)

4. यह है कि गैरसायलान सं. 1 लठैत किस्म का व्यक्ति है, जो जबर्दस्ती अच्छे खसरा नम्बरान पर व सडक के सहारे वाले खसरा नम्बरान पर कब्जा करने की नीयत से उतारू हैं, तथा इस प्रकार की धमकी दिनाक 02.08.19 को सायल को दी है कि वह खसरा न. 1021 व 1225, 1247, 1226,1164,1167 पर जबर्दस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर देगा, अगर गैरसायलान अपनी उक्त धमकी में कामयाव हो गया तो सायलान को अजीम क्षति होगी। सायल खिलाफ गैरसायलान अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी हैं कि उपरोक्त विवादित आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें व सायलान को अपने हिस्से आराजी से बेदखल न करे। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन सायल के हक में बखूबी साबित है।

5. अन्त में सायल ने प्रार्थना की कि सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह ,खसरा न. 1021, 1225, 1247, 1226, 1164,1167 पर जबर्दस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य न करे व सायल के हिस्से में आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री भगवानसिंह फौजदार एण्ड0 उपथित हुऐ। अप्रार्थी स. 1 की ओर जवाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे हीं बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए की गयी।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमावंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम गांगरौली पेश की गयी।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए वहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। हमने प्रार्थीगण के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमावदी संवत 2075–78 वाके ग्राम गांगरौली पेश की गयी। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। उक्त विवादित आराजीयात का अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है, तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने मनवट अनुसार काविज होकर काश्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जव तक उभय पक्षकारान का कानूनी रूप से बटवारा नहीं हो जाये तव तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपना हक निहित रहता है। प्रथमदृष्टया प्राईमाफेसी केस प्रार्थीगण के हक में है।

3. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।

4. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पावन्द नहीं किया जाता है तो विवादित आराजीयात का खुर्द–बुर्द होने का अंदेशा रहेगा तो अजीम क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि खाता सं. 118 के खसरा न. 1019 रकवा 0.02, 1022 रकवा 0.17, 1159 रकवा 0.28, 1164 रकवा 0.73,1166 रकवा 0.57, 1167 रकवा 0.63, 1191 रकवा 0.73, 1199 रकवा 0.39, 1203 रकवा 0.53, 1224 रकवा 0.25, 1225 रकवा 0.42, 1226 रकवा 0.21, 1227 रकवा 0.11,

Scanned with CamScanner

नं. .... सन् ....

तारीख

1228 रकबा 0.20, 1239 रकबा 0.13, 1237 रकबा 0.02, 1240 रकबा 0.01, 1241 रकबा 0.04, 1242 रकबा 0.13, 1243 रकबा 0.06, 1245 रकबा 0.20, 1246 रकबा 0.22, 1247 रकबा 0.02, 1248 रकबा 0.18, 1452 रकबा 0.20, 1667 रकबा 0.68, 1769 रकबा 0.40, 1770 रकबा 0.44, किता 28 कुल रकबा 7.97 है. व खाता सं. 19 खसरा न. 1790 रकबा 0.32 है. तथा खाता सं. 194 खसरा न. 1021 रकबा 0.19 है. वाके ग्राम गांगरौली तहसील नदबई पर उभयपक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात की मौके की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner